राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3773/2024

मंजू लाम्बा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024

आदेश की दिनांक : 16.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुनाडिया, ब्लॉक बाली, जिला पाली में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुये समायोजित करते हुये वर्तमान पदस्थापन स्थान से दूसरे ब्लॉक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, sadalwa teepari, ब्लॉक बाली, जिला पाली में स्थानांतरण नीति दिनांक 14.11.2024 एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2024 के विपरीत जाकर स्थानांतरण किया गया है, जबकि वर्तमान में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया

है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना में आलोच्य आदेश जारी किया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी अधिशेष कार्मिक नहीं है और गलत तरीके से उसे अधिशेष मानते हुये समायोजित किया गया है। अपीलार्थी दिव्यांग कार्मिक है और अपीलार्थी से जो कनिष्ठ कार्मिक है, उन्हें उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी दिव्यांग/विकलांग 50 प्रतिशत से अधिक होने के बावजूद उसे दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुनाडिया, ब्लॉक बाली, जिला पाली में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुये समायोजित करते हुये वर्तमान पदस्थापन स्थान से दूसरे ब्लॉक में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, sadalwa teepari, ब्लॉक बाली, जिला पाली में स्थानांतरण नीति दिनांक 14.11.2024 एवं सामान्य प्रशासनिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.01.2023 एवं 03.01.2024 के विपरीत जाकर स्थानांतरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित/स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/विकलांग है और ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को

दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष